यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड, जिला टास्क फोर्स कार्यालय, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड, जिला टास्क फोर्स कार्यालय, टिहरी गढ़वाल** के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजीव कुमार, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री सुनील कुमार मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(त0) द्वारा दिनांक-02.02.2021 से 12.02.2021 तक श्रीए0के0जैन, व0लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः-इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री नीरज कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक-24.01.2020 से 01.02.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-जनपद मे समस्त भू-वैज्ञानिक कार्य व खनन प्रशासन कार्य।

3. राजस्व विवरण

(i) विगत तीन वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्योरा निम्नवत हैं-

वर्ष	**अर्जित राजस्व (` लाख मे)**
2017-18	1320.08
2018-19	1413.95
2019-20	1719.04

(ii) (अ)कार्यालय गठन से बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(`लाख मे)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**बचत राशि जो समर्पित की गयी**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	
2017-18							
2018-19							

2019-20	आहरण एवं वितरण का कार्य नही किया जाता हैं।

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत राशि जो समर्पित की गयी**
2017-18	लागू नही				
2018-19					
2019-20					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

1. अपर मुख्य सचिव
2. अपर सचिव/निदेशक
3. अपर निदेशक
4. संयुक्त निदेशक खनन
5. संयुक्त निदेशक भूविज्ञान
6. उपनिदेशक/ ज्येष्ठ खान अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड, जिला टास्क फोर्स कार्यालय, टिहरी गढ़वालको आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड, जिला टास्क फोर्स कार्यालय, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। नवंबर 2019 को राजस्व के विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **16**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II (अ)

प्रस्तर:1- निर्माण इकाइयों द्वारा अवैध खनन करने के बावजूद अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना ₹17.20 करोड़।

"उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जन पद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा। सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमश: अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 5000/- व चुगान पट्टे हेतु ₹100000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय भूवैज्ञानिक,जिला टास्क फोर्स, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,टिहरी गढ़वाल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2019-20 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि 09 निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹4,30,11,675/- जमा किया गया था। (सूची संलग्न) यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण निर्माण इकाईयों द्वारा उपखनिजो का अवैध खनन, कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था । जिससे राजस्व हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र /पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा की गयी थी। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किये जाने का प्रावधान है।

परन्तु खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण शासन को ₹17,20,46,700.00 (4,30,11,675x5 = 215058375 – 4,30,11,675) की हानि हुई।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में कार्यरत कुल 19 निर्माण इकाइयों मेंसे आतिथि तक 09 इकाइयों की सूचना उपलब्ध कराया गया। शेष 10 इकाइयों की भी सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराना लेखा परीक्षा को प्रतीक्षित रहेगा।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर अपने उत्तर में बताया किबिना अनुज्ञा पत्र/पट्टे और बिना निर्धारित प्रपत्र e-form "MM-11" एवं e-form "J" के ही खनन / परिवहन कर उपखनिजों का निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया जाना अवैध है,बिना अनुज्ञा पत्र एवं पट्टे के खनन का कार्य नहीं किया जा सकता है,जिले में किसी भी दशा में e-form एम एम-11 एवं e-form j के खनिज परिवहन नहीं किया जा सकता है, जिले में अवैध खनन/परिवहन पर रोक लगाने का अधिकार/कर्तव्य नियमावली के अनुसार नायब तहसीलदार/तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/ खानधिकारी अधिकृत किया गया है तथा निर्माणदायी संस्थाओं के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषण किया जाएगा। अवशेष इकाइयों की सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी। ।

अत: नियमावली/नीति के प्रावधानानुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹17.20 करोड़ की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>निर्माण इकाइयों द्वारा अदा की गयी रायल्टी की सूची</u>

क्र.सं.	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि (₹ में)
3	निर्माणखंड पीडब्लू0डी00, नई टिहरी	17,712
4	प्रांतीय खंड पीडब्लू0डी00 नई टिहरी	1,14,33,218
5	पेयजलनिर्माण निगम, नई टिहरी	7,807
6	जिला पंचायत, नई टिहरी	5,20,446
7	PMGSY,PWD, कीर्तिनगर, नई टिहरी	1,70,07,025
10	लघु सिंचाई खंड नई टिहरी	22,76,707
15	PMGSY खण्ड -I नई टिहरी	70,35,419
17	PMGSY खण्डनरेंद्र नगर -, नई टिहरी	46,95,629
19	कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, डोबरा चाँटी परियोजना,PWD नई टिहरी	17,712
	योग	**4,30,11,675**

भाग-II (अ)

प्रस्तर:02 जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास निधि, स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति न लिए जाने के परिणाम स्वरूप राजस्व क्षति ` 2.00 करोड़।

(A) उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1, संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16देहरादून : दिनांक 17 नवम्बर 2017, अधिसूचना, प्रकीर्ण द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली 2017 के नियमबिन्दु 10-न्यास निधि हेतु अंशदान के नियम (2)-गौण खनिजों के मामले में 2- के अन्तर्गत नियम 5 अर्थात नियम 10 (2) 5 के अनुसारः-सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से। यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत हुई समझी जाएगी।

औध्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या :शासनादेश संख्या: 1998/VII-1/2018/80-ख/16 दिनाँक 14.02.2018 के अनुसार विभिन्न शुल्कों की संशोधित दरें निम्नवत थी:

(i) रॉयल्टी
(ii) स्टाम्प शुल्क - रॉयल्टी का 2%
(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान- रॉयल्टी का 25%
(iv) क्षति पूर्ति - रॉयल्टी का 15%

कार्यालय भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, टिहरी गढ़वाल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सरकारी निर्माण इकाइयों के द्वारा सीधे जमा किए गए रॉयल्टी के विवरण की मांग किए जाने पर 09 इकाइयों का विवरण उपलब्ध कराया गया, के अनुसार कुल रॉयल्टी `**4,30,11,675.00** सीधे जमा की गई थी, का 40 प्रतिशत धनराशि `1,72,04,670.40 (**4,30,11,675**x 40%) जमा किया जाना अपेक्षित था, (विवरण संलग्न) जिसको जमा किया जाने का कोई विवरण अभिलेखो में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जिलाधिकारी जनपद टिहरी के माध्यम से निर्माणदायी संस्थाओं को आदेशित किये जाने हेतु संज्ञानित किया जाएगा।

अत: जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास निधि, स्टाम्प शुल्क तथा क्षतिपूर्ति न लिए जाने के परिणाम स्वरूप राजस्व क्षति `1.72 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निर्माण इकाइयों द्वारा अदा की गयी रायल्टी की सूची

क्र.सं.	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि (₹ में)
3	निर्माणखंड पीडब्लू0डी00, नई टिहरी	17,712
4	प्रांतीय खंड पीडब्लू0डी00 नई टिहरी	1,14,33,218
5	पेयजलनिर्माण निगम, नई टिहरी	7,807
6	जिला पंचायत, नई टिहरी	5,20,446
7	PMGSY,PWD, कीर्तिनगर, नई टिहरी	1,70,07,025
10	लघु सिंचाई खंड नई टिहरी	22,76,707
15	PMGSY खण्ड -I नई टिहरी	70,35,419
17	PMGSY खण्डरेंद्र नगरन -, नई टिहरी	46,95,629
19	कार्यालय प्रोजेक्ट मैनेजर, डोबरा चाँटी परियोजना,PWD नई टिहरी	17,712
	योग	**4,30,11,675**

(B) उत्तराखण्ड शासन, औध्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: 1621/VII-1/2017/8ख/16 देहारादून दिनाँक 17-11-2017 द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, नियमावली प्रख्यापित की गयी। यह नियमावली दिनाँक 12-01-2015 से प्रवत्त की गयी। नियमावली के बिन्दु-3 के अनुसार न्यास के निम्न उद्देश्य हैं:

(i) खनन संक्रियाओं या अन्य संबन्धित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिये कार्य करना;

(ii) प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिये जिला खनिज फाउंडेशन में जिला खनिज फाउंडेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना; और

(iii) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु संबन्धित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना;

नियमावली के बिन्दु-10 के अनुसार न्यास निधि में अंशदान हेतु बिन्दु-10(1) के अनुसार मुख्य खनिज के मामले में अंशदान केंद्र सरकार के निर्देशों के अंतर्गत जमा करना है। मुख्य खनिज मैग्नेसाइट हेतु अंशदान रॉयल्टी का 30% है एवं बिन्दु-2 के अनुसार गौण खनिजों के मामले में समस्त उपखनिज पट्टाधारक, अनुज्ञा धारक, सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर रॉयल्टी का 25% अतिरिक्त रूप से एवं ईंट भट्टा समाधान रॉयल्टी 15% अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत तथा सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराया जाना होगा।

अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न खनन पट्टाधारको **(सूची संलग्न)** द्वारा जो रॉयल्टी जमा करवाई गयी थी उस जमा करवाई गयी उस रॉयल्टी राशि पर उक्त नियमानुसार रॉयल्टी का 25% अतिरिक्त रूप सेजिला खनिज फाउंडेशन न्यासनिधि के रूप में ₹2839753 (संलग्न विव्रनुसार) जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा नहीं करवाया गया था जो उक्त शासनादेश के प्रावधानों का उल्लंघन था।

क्र० सं०	खनन पट्टा धारक का नाम	खनन पट्टे का नाम	पट्टा स्वीकृति की अवधि	जमा की रायल्टी	न्यास निधि की राशि (रायल्टी राशि का 25 प्रतिशत)	जि०ख०फ० न्यास की जमा राशि	कुल धनराशि न्यास निधि
01	सुमन सिंह बिष्ट	सुमन सिंह बिष्ट	10.06.2019 से 09.06.2020	246043.00	61511	Nil	61511
02	भरत सिंह गुसांई	भरत सिंह गुसांई	07.06.2020 से 06.06.2021	227594.00	56899	Nil	56899
03	अतोल सिंह चौहान	मै० अतोल सिंह	10.06.2019 से 30.06.2020	1127684.00	281921	Nil	281921
04	सत्ते सिंह राणा	मै० किलकेश्वर	01.10.2015 से 31.03.2020	3630998.00	907750	Nil	907750
05	मस्तान सिंह	मै० मस्तान सिंह	19.09.2018 से 18.09.2023	800000.00	200000	Nil	200000
06	हुकम सिह पैडियार	हुकम सिंह पैडियार	10.06.2019 से 30.06.2020	828225.00	207056	Nil	207056
07	अनिल कोठारी	मै० अनिल कोठारी	22.06.2016 से 21.02.2021	188288.00	47072	Nil	47072
08	सुमेर सिंह भण्डारी	मै० सुमेर सिंह भण्डारी	17.01.2016 से 17.01.2021	327600.00	81900	Nil	81900
09	सुशीला देवी सत्ते सिंह	मै० सुशीला देवी सत्ते सिंह	01.10.2015 से 30.10.2023	3982580.00	995645	Nil	995645
						Total	**2839753.00**

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि प्रकरणों की जांच कर जिन पट्टाधारको ने जिला खनिज फाउंडेशन अंश दान की राशि जमा नहीं की है उन्हें अध्यक्ष/जिला खनिज फाउंडेशन (जिलाधिकारी) के माध्यम से नोटिस करने हेतु पत्र प्रेषण किया जाएगा।

अतः जिला खनिज फाउंडेशन न्यासनिधि ₹ 2.00 करोड़ की वसूली ना किये जाने संबंधी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (अ)

प्रस्तर-3: ₹43.34 लाख भाटक एवं उस पर देय ब्याज ₹11.85 लाख की वसूली ना किया जाना।

खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 9(A) के अनुसार: The holder of a mining lease, whether granted before or after the commencement of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Act, 1972,shall notwithstanding anything contained in the instrument of lease or in any other law for the time being in force, pay to the State Government, every year, dead rent at such rate as may be specified, for the time being, in the Third Schedule, for all the areas included in the instrument of lease:

Provided that where the holder of such mining lease becomes liable, under section9, to pay royalty for any mineral removed or consumed by him or by his agent, manager, employee, contractor or sub-lessee from the leased area, he shall be liable to pay either such royalty, or the dead rent in respect of that area, which ever is greater.

पुनः, धारा-15 (1) के अनुसार: The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for regulating the grant of quarry leases, mining leases or other mineral concessions in respect of minor minerals and for purposes connected therewith.

एवं धारा-15(3) के अनुसार: The holder of a mining lease or any other mineral concession granted under any rule made under subsection (1) shall pay royalty or dead rent, whichever is more in respect of minor minerals removed or consumed by him or by his agent, manager, employee, contractor or sub-lessee at the rate prescribed for the time.

उत्तराखण्ड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1561/VII-1/80-ख/2016 दिनाँक 30.09.2016 के बिंदु 14(उपनिज क्षेत्र का अपरिहार्य भाटक) के अनुसार चुगान पट्टे पर अपरिहार्य भाटक का आगणन चुगान क्षेत्रों हेतु रैपिड सर्वे द्वारा आगणित मात्रा का 50 प्रतिशत मात्रा पर देय रॉयल्टी की धनराशी के रूप में आगणित की जायेगी जिसे निजी पट्टाधारक एवं निगमों द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

उत्तराखण्ड शासन, औध्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1758/VII-1/16/68-रिट/08 दिनाँक 19.11.2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2016 के अध्याय-V के बिन्दु-1(ख) के

अनुसार" स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडीमिक्स प्लान्ट के स्वामी द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये खनिज आदि का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रत्येक माह ₹ 50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा। अधिसूचना संख्या 1873/VII-1/158-ख/04टीसी दिनाँक 09.12.2016 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि भंडारकर्ता द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जनपद स्तरीय कार्यालयों में प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। समयान्तर्गत मासिक विवरण प्रस्तुत न किये जाने पर भण्डारकर्ता पर प्रत्येक माह ₹ 2000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-58(1) के अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे । नियम 58(2) के अनुसार उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि के समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक, स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है ।

पट्टेधारक मै॰ किलकिलेश्वर माइनिंग कंपनी के पत्रावली की जांच में पाया गया कि पट्टेधारक मै॰ किलकिलेश्वर माइनिंग कंपनी उपखनिज की निकासी हेतु पांच वर्ष अक्टूबर 2015 से मार्च 2023 के मध्य हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। पट्टाधारक को प्रतिवर्ष वार्षिक खनिज की मात्रा 211680 टन स्वीकृत थी जिसके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा प्रतिवर्ष ₹8668296/- देय था। पट्टाधारक का प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से प्रारम्भ होकर सितम्बर तक था

आगे जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर 2018 से माह सितम्बर 2019 तक किये गए खनन की मात्रा शून्य थी अर्थात उसके द्वारा खनिज का खनन किया नहीं गया था जिसके परिणाम स्वरुप उक्त शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार ₹4334148/- भाटक देय था जिसकी वसूली इकाई द्वारा लेखा परीक्षा तक नही की गयी थी

इसके अतिरिक्त उक्त नियमानुसार ही भाटक की राशि समय पर जमा न कराये जाने के कारण लेखा परीक्षा तिथि तक 24 प्रतिशत की दर से ₹1185408/- (on ₹4334148 @24 परसेंट for the period from 10/2019 to January 2021) ब्याज बनता है जिसकी वसूली इकाई द्वारा लेखा परीक्षा तक नही की गयी थी

आगे, इसके अतिरिक्त माह नवम्बर 19 से मार्च 20 तक एवं माह सितम्बर 2019 की मासिक विवरणी पट्टाधारक द्वारा इकाई में में जमा नही करवाया गयी थी जिसके फलस्वरूप उक्त नियमानुसार पट्टाधारक के उपर 6 X 2000 = 120000 अर्थदंड लगना चाहिए था जो की नही लगाया गया/वसूली भी नही की गयी थी।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि प्रकरण पर नियमानुसार जांच कर कार्यावाही की जायेगी।

अतः ₹43.34 लाख भाटक उस पर देय ब्याज ₹11.85 लाख तथा मासिक विवरणी प्रस्तुत ना किये जाने के कारण ₹ 0.12 लाख की वसूली ना किये जाने संबंधी प्रकरण शासन संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-II (अ)

प्रस्तर-04: अवैध भंडारण/परिवहन पर अर्थदण्ड का अनारोपण रु 1.59 करोड़।

(A) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-3 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसे उपखनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोजन हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों पर प्रतिबंधों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियाएँ न कर सकेगा।

नियमावली के नियम-57 के अनुसार जो कोई भी नियम-3 का उल्लंखन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दंडनीय होगा, जो छ: मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दंडनीय होगा जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दंडों से दंडनीय होगा। उक्त के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किए जा रहे खनिज/भंडारित किये जा रहे खनिज की मात्रा पर विक्रय मूल्य की धनराशि आंगणित कर वसूल किया जायेगा।

उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 (यथासंशोधित 13.11.2016) के नियम 13-2(ख) के अनुसार अवैध भण्डारकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा-21 के उपनियम (2) एवं 21 के उपनियम (5) के अनुसार अर्थदण्ड धनराशि ₹ 2,00,000/- तक के अतिरिक्त भंडारित किए गए अवैध खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी की पाँच गुणा की धनराशि आंगणित कर वसूल किये जाने का प्रावधान है।

(i) कार्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि मैसर्स हिदुस्तान कन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड के उपखनिजों के भंडारण हेतु प्रपत्र "L" के अनुसार माह दिसंबर 2017 में स्टोन क्रेशर का उपखनिज का अंतिम स्टॉक 89242.61 टन था जबकि जनवरी 2018 का प्रारम्भिक स्टॉक 456.57 टन दर्शाया गया है. अंतरीय स्टॉक 88786.04 टन अवैध परिवहन किया जाना इंगित कर रहा है। नियमानुसार अवैध भंडारित उपखनिज पर अर्थदण्ड ₹ 2,00,000/- के अतिरिक्त उपखनिज की रॉयल्टी दर ₹35/टन की दर से आंगणित रॉयल्टी का पाँच गुणा राशि ₹1,55,37,557 (88786.04 टन x 35/टन x 5) भी आंगणित करते हुए अधिरोपित कर वसूल की जानी थी। जो कि नहीं की गयी थी।

(ii) साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि मैसर्स हिदुस्तान कन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड के उपखनिजों के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रपत्र "आई" के अनुसार उपखनिज भंडारण मात्रा 20040 घनमीटर अर्थात 44088 टन थी लेकिन स्टोन क्रेशर के स्वामी द्वारा खनन कार्यालय को प्रस्तुत माह दिसंबर 2017 के मासिक विवरण प्रपत्र "L" में दर्शाये गए उपखनिज का अंतिम स्टॉक 89242.61 टन था जो कि भंडारण मात्रा से

45154.61(89242.61-44088) टन अधिक था। इस प्रकार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा 45154.61 टन अवैध भंडारण किया जाना इंगित करता है अतः नियमानुसार अवैध भंडारित उपखनिज पर अर्थदण्ड ₹ 2,00,000/- के अतिरिक्त उपखनिज की रॉयल्टी दर ₹35/टन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल कि जानी थी जो कि वसूल नहीं की गई।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जायेगा। खंड का उत्तर लेखापरीक्षा आपति की स्वंम पुष्टि करता हैं।

(B) उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग संख्या-1031/VII-I/2015/158-ख/2004 देहरादून के दिनांक-31 जुलाई 2015 की अधिसूचना के स्तम्भ-2 के 13 2(ख) के अनुसार अवैध भंडारंकर्ता/अवैध का परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21 के उपनियम(2) एवं नियम 21 के उपनियम (5) के अनुसार अर्थदण्ड धनराशि `2,00,000/- (दो लाख रुपये) के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किए जा रहे खनिज/भंडारित किए गए खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य (रायल्टी का पाँच गुना तक) की धनराशि उपरोकतानुसार आंगणित कर वसूली की जायेगी।
उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक-19.05.2016 द्वारा विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल मे उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमे से कोई भी मिली जुली अवस्था मे हो की रॉयल्टी दर`7.00 प्रति कुंतल `154.00 प्रति घन मीटर निर्धारित हैं।

आगे जांच में पाया गया कि संचालक द्वारा जो जनवरी माह की जो मासिक विवरणी प्रस्तुत की गयी थी उसमे प्रारम्भिक खनिज अवशेष एवं अंतिम अवशेष शून्य दर्शाया गया था जबकि माह फरवरी कि मासिक विवरणी में प्रारम्भिक खनिज अवशेष 1198.60 टन दर्शाया गया था। जनवरी माह में संचालक के स्टॉक में अंतिम अवशेष शून्य था जबकि अंतिम अवशेष शून्य होने के बावजूद माह फरवरी में प्रारंभिक खनिज अवशेष 1198.60 टन होना अवैध भंडारण/परिवहन था। इस प्रकार इस अवैधं खनिज मात्रा पर उक्त नियमों के अनुसार अधिक खनिज पर कुल रॉयल्टी (1198.60टन * 35=41951/-तथा इस राशि का 05 गुणा= (209755-41951=167804) इस प्रकार ₹167804 + ₹2,00,000/-अर्थदण्ड सहित कुल 367804/- वसूला जाना चाहिए था जो नही किया गया

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुये बताया कि जांच कर संयत्र स्वामी को नोटिस जारी कर जिलाधिकारी को अपडेट किया जाएगा।

अतः रु 1.59 करोड़ के अर्थदण्ड की राशि के आरोपित न करने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (अ)

प्रस्तर-5: वार्षिक नवीनीकरण शुल्क रु 8.00 लाख की वसूली ना किया जाना।

(A) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 850/VII-1/2016/68-रिट/2008 देहरादून दिनाँक 19.05.2016 के अनुसार स्टोन क्रेशर के नवीनीकरण हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क ₹ 1.00 लाख था। तत्पश्चात उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 दिनाँक 19.11.2016 के बिन्दु-9 के अनुसार घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का विनियमतिकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाना था। विनियमतिकरण शुल्क की गणना ₹ 5.00 लाख में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना था एवं स्टोन क्रैशर का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 5.00 लाख का 25 प्रतिशत था तथा अध्याय-3 के बिन्दु-3(1) के अनुसार प्लान्ट स्वामी द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर शासन को अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार है।
कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, टिहरी गढ़वाल में स्टोन क्रेशर की पत्रवालियों की नमूना जाँच में पाया गया कि कार्यालय के अंतर्गत पंजीकृत पांच स्टोन क्रेशर द्वारा वर्ष 2019-20 के वार्षिक नवीनीकरण शुल्करु 6.25 लाख जमा नहीं किया गया था **(सूची संलग्न)** एवं बिना वार्षिक नवीनीकरण शुल्क जमा किए ही स्टोन क्रेशरो का संचालन किया जा रहा था । बिना नवीनीकरण शुल्क जमा कराये स्टोन क्रेशरो का संचालन अवैध था।

क्र0 सं0	अनुज्ञाधरक का नाम (संचालक)	स्टोनक्रेशर का नाम	सचालन का आदेश व तिथि	अवधि (तक)	क्षमता प्रति घन्टा	जमा आवेदन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क (आवेदन शुल्क का 25%)	नवीनीकरण शुल्क की वर्तमान स्थिति
1.	श्री शैलेन्द्र कुमार उनियाल, डुगिधार टिहरी गढ़वाल।	मै0 सागर स्टोन क्रेशर	15.10.2016	13.10.2021	20	5 लाख	**1.25 लाख**	**जमा नही है।**
2.	श्री भरत सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह।	स्टोन क्रेशर घनसाली	12.12.2016	19.12.2021	20	5 लाख	**1.25 लाख**	**जमा नही है।**
3.	श्री चन्द्रवीर सिंह पुण्डीर	स्टोन क्रेशर	05.12.2019	04.12.2024	20	5 लाख	**1.25 लाख**	**जमा नही है।**

4.	मै0 हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी स्टोन क्रेशर।	मै0 हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी स्टोन क्रेशर	14.11.2017	25.08.2022	100	5 लाख	**1.25 लाख**	**जमा नही है।**
5.	श्रीमती विषाला देवी।	राणा स्टोन क्रेशर	10.11.2016	09.11.2021	20	5 लाख	**1.25 लाख**	**जमा नही है।**
	कुल						**6.25 लाख**	

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच कर नवीनीकरण शुल्क जमा कराये जाने की संस्तुति की जायेगी।

(B) पुनः स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाइल स्टोन क्रेशर प्लांट/ मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत होगा। यह धनराशि प्लांट स्वामी के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" मे जमा कराया जायेगा संस्था मै0 सेंट्रोडोरस्टाय इण्डिया प्रा0लि0 के मोबाइल स्टोन क्रेशर के दिनांक-30.09.2019 के पश्चात के नवीनीकरण एवं हॉट मिक्स के नवीकरण के दस्तावेज़ नही पाये गए। इस प्रकार हॉट मिक्स हेतु नवीनीकरण शुल्क `25000/- जमा किया जाना चाहिए था।

उक्त की संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि हॉट मिक्स का नवीनीकरण के संबंध मे कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी करने हेतु जिलाधिकारी महोदया जनपद टिहरी गढ़वाल को पत्र प्रेषित किया जायेगा |

(C) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 दिनाँक 19.11.2016 के अध्याय –III- 1(2) के अनुसार हाट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट हेतु वार्षिक नवीकरण शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क, जो ₹ 25000/- है (अध्याय-II के अनुसार), के बराबर होगा। यह धनराशि प्लांट स्वामी के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्ष '0853' में जमा कराया जायेगा। उल्लिखित नियमानुसार प्लांट स्वामी श्री गौरव शर्मा, प्रो0 पी.के. इंफ्राटेक, 34 आदर्श ग्राम देहारादून रोड ऋषिकेश द्वारा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क रु025,000/- जमा नहीं कराया गया था।

उक्त की संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया गया कि सायंत्र स्वामी को जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से नोटिस हेतु संज्ञानित किया जाएगा |

(D) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 850/VII-1/2016/68-रिट/2008 देहरादून दिनाँक 19.05.2016 के अनुसार स्टोन क्रेशर के नवीनीकरण हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क ₹ 1.00 लाख था। तत्पश्चात उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 दिनाँक 19.11.2016 के बिन्दु-9 के अनुसार घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का विनियमतिकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाना था। विनियमतिकरण शुल्क की गणना₹ 5.00 लाख में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना था एवं स्टोन क्रैशर का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क

₹ 5.00 लाख का 25 प्रतिशत था तथा अध्याय-3 के बिन्दु-3(1) के अनुसार प्लान्ट स्वामी द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर शासन को अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार है।
जांच में पाया गया कि संचालक भागीरथी स्टोन क्रेशर द्वारा उक्त नियमानुसार 2019-20 के वार्षिक नवीनीकरण शुल्करु 1.25 लाख नहीं जमा कराया गया था यह राशि भी संचालक से वसूलनीय थी
प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुये बताया कि जांच कर नवीनी कारन शुल्क जमा के सम्बन्ध में कारवाही की जायेगी, आगे बताया कि संयत्र स्वामी को नोटिस जारी कर जिलाधिकारी को अपडेट किया जाएगा।

अतः संचालको से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क रु 8 लाख की वसूली ना जाने संबंधी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर-01: शासनादेश के अनुसार सचल दलों का गठन नहीं किया जाना।

प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन पत्रांक 1747/VII-1-10/198-ख/207 दिनांक 12 जुलाई 2010 के द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भंडारण की रोकथाम, बाजार मेंखनिजों के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग मेंड्रिलिंग कर्मचारियों तथा फील्ड परिचर आदि को खनिज मोहरिर केसाथ सम्मिलित करते हुए राजकीय वाहन सहित खान अधिकारी/खान निरीक्षक के नेतृत्व में सचल दलों का गठन करने के निर्देश दिये गए थे।

कार्यालय भूवैज्ञानिक,जिला टास्क फोर्स, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,टिहरी गढ़वाल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा वर्तमान तक टिहरी गढ़वाल में किसी सचल दल का गठन नहीं किया गया है।

सचल दल गठन न होने के कारण जिले में अवैध खनन, परिवहन, एवं भंडारण का व्यवसाय होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे शासन को राजस्व क्षति हो रही है।

उल्लेखनीय है कि टिहरी गढ़वाल जिला विकासशील है, बहुत अधिक मात्रा में निरन्तर निर्माण कार्य चल रहा है तथा बहुमंजिला इमारतें भी निरन्तर बन रही है।

उक्त शासनादेश के क्रम में सचल दल का गठन किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन विभाग द्वारा सचल दल का गठन न किया जाना राजस्व प्राप्ति के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि टिहरी गढ़वाल जिले के जीएसटी विभाग के साथ कार्यालय को समन्वय कर जीएसटी विभाग में खनिजों के क्रय एवं विक्रय के पंजीकृत डीलर/ब्योहारी की सूची एवं आवश्यक विवरण प्राप्त करना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई खनिज के व्यापार करने वाले व्यापारी बगैर जिला खान अधिकारी में पंजीकृत कराये राज्य के खनिज का अवैध परिवहन/भंडारण/विक्रय तो नहीं कर रहा है, जिस कारण शासन को राजस्व क्षति हो रही हो। उल्लेखनीय है कि कार्यालय में 07 रिटेल भंडारण के संचालक पंजीकृत दर्शाये गए है, जो अत्यधिक कम है। लेखा परीक्षा तिथि तक (फरवरी 2021) जी.एस.टी. विभाग से समन्वय कर खनिज भंडारण के संचालक की सूची अद्यतन नहीं कि गई थी।

विभाग केसंज्ञान मे लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया किसचल दल गठन के संसाधनों की व्यवस्था उच्च स्तर से अपेक्षित है। इस कार्यालय स्तर से कार्यवाही कर प्रधान महालेखाकार को भी सूचित किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-02: निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्ति किया जाना।

कार्यालय भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,टिहरी गढ़वाल के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2019-20 मे कुल लक्ष्य `25,00,00,000/= (पच्चीस करोड़ रुपये) के सापेक्ष कुल राजस्व प्राप्ति `17,90,03,659/=हुई थी। जो निर्धारित लक्ष्य से करीब 28 प्रतिशत कम थी।

इस संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि जांच कर मुख्यालय स्तर को अवगत कराया जायेगा। एवं अथक प्रयासों के कारण राजस्व प्राप्त किया जा सका। कार्यालय का उत्तर तर्कसंगत नही हैं क्योकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जानी चाहिये थी।

अत: निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्ति किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-03: अनियमित रूप से निजी माप पट्टे का आवंटन किया जाना।

उत्तराखंड शासन के उत्तराखंड विकास अनुभाग-1 संख्या-1561/VII-I/80-ख/2016 देहरादून दिनांक-30 सितम्बर 2016 के अनुसार उत्तराखंड राज्य मे विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सरक्षण करने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने खनिजों से राजस्व मे वृद्धि करें तथा अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम एवं प्रभावी एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1033/VII-I/2015146-ख/2010 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा उत्तराखंड उपखनिज() नीति, 2015 का प्रख्यापन किया गया था। वर्तमान मे उपखनिजों के बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान कार्य के सरलीकरण हेतु इस संबंध मे विद्यमान नीति और आदेशों को अतिक्रमित कराते हुए खनिज विकास एवं राजस्व हित मे राज्यपाल द्वारा उत्तराखंड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति दी।

उक्त शासनादेश के नियम संख्या-5 के अनुसार चुगान पट्टे हेतु आवेदन शुल्क ` 1,00,000/- होगा।

उक्त शासनादेश के नियम संख्या-11 (ग) के अनुसार निजी नाप भूमि मे चुगान की अवधि एक वर्ष हैं। परंतु पूर्व से स्वीकृत निजी नाप भूमि के पट्टे स्वीकृत अवधि तक चलते रहेगे।

कार्यालय भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, टिहरी गढ़वाल के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि उत्तराखंड शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग के पत्र संख्या-1644/VII-I/78-ख/2016 दिनांक-20 दिसंबर 2016 के अंतर्गत श्री भरत सिंह गुंसाई पुत्र श्री भगवान सिंह ग्राम रानीडांग पो0 भूत्तु तहसील घनसाली, टिहरी गढ़वाल को माप भूमि पर 05 वर्षों हेतु उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया हैं। तदनुसार जिला कार्यालय स्तर से दिनांक-04.06.2018 को पट्टा निष्पादन किया गया जिसका पंजीकरण उपनिबंधक, घनसाली कार्यालय मे दिनांक-07.06.2018 को किया गया। उक्त पट्टा शासन द्वारा दिनांक-20 दिसंबर 2016 को स्वीकृत किया गया फिर भी शासनादेश दिनांक-30 सितम्बर 2016 का उल्लघन किया गया ।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण उत्तराखंड शासन से संबन्धित हैं शासन से पत्राचार कर अवगत करा दिया जाएगा।

अत: शासन द्वारा अनियमित रूप से निजी माप पट्टे का आवंटन किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-04: पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क `19,76,644.00 एवं अवैध खनन पर `15,88,46,259.00 (पंद्रह करोड़ अठठासी लाख छियालीस हजार दो सौ उनसठ) मात्र का अर्थदण्ड वसूल नही किया जाना।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या-1758/VII-I/16/68-रिट/08 देहरादून के दिनांक-19 नवम्बर 2016 के **अध्याय-IV** के नियम 12 के अनुसार मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को क्रश्ड़ मैटेरियल पर ` 1.00 प्रति कुंतल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को छाने गए उपखनिज की मात्रा पर ` 0.25 प्रति कुंतल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखा शीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग मे जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

अध्याय-V हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडीमिक्स प्लांट के 1(ख) के अनुसार हॉट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किए गए उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र मे प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय मे प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी पर प्रतिमाह `50000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

1(ग)हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडीमिक्स प्लांट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उनके उत्पाद अर्थात कच्चा माल/पक्का के प्लांट मे उपयोग की गई मात्रा पर 1 रुपये प्रति कुंतल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक 0853- अलैह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग मे पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

कार्यालय भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,टिहरी गढ़वालके लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि शासनादेश संख्या-2762/VII-1/2018/40-स्टोन क्रेशर/18 दिनांक-03 जनवरी 2019 द्वारा मै0 सेंट्रोडोरस्टाय इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली को सरकारी कार्य हेतु ग्राम "साकनी" तहसील देवप्रयाग मे खसरा संख्या-1143 से 1149 तक कुल रक्बा 0.154 है0 भूमि पर 250 टन प्रतिघण्टा क्षमता का दिनांक 03 जनवरी 2019 से 30.09.2019 तक की अवधि हेतु मोबाइल स्टोन क्रेशर प्लांट लगाए जाने हेतु पंजीकृत किया गया था। जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के कार्यालय ज्ञापसंख्या-448/खनन/हॉटमि0पंजी0/टि0ग0/भू0खनि0ई0/2017-18 दिनांक-13.07.2018 के आदेशानुसर मै0 सेंट्रोडोरस्टाय इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली को सरकारी कार्य हेतु ग्राम साकनी तहसील देवप्रयाग मे खसरा

संख्या-1143 से 1149 तक कुल रक्का 0.154 है0 भूमि पर 25 टन प्रतिघण्टा क्षमता का 05 वर्ष की अवधि हेतु हॉट मिक्स प्लांट हेतु पंजीकृत किया गया था।

अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 सेंट्रोडोरस्टाय इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली द्वारा हॉट मिक्स प्लांट एवं मोबाइल स्टोन क्रेशर हेतु उक्त स्वीकृत अवधि हेतु पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे कुल `15,16,606.00 मात्र जमा किया जबकि निर्गत उपखनिज के अनुसार `34,93,250.00 जमा किया जाना चाहिए था। इस प्रकार कार्यदायी संस्था द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे `19,76,644.00 की धनराशि कम जमा की।

मै0 इस्पान इंफ्रास्ट्रूक्चर (इ0) लि0, नोयडा, जो मै0 मै0सेंट्रोडोरस्टाय इण्डिया प्रा0लि0, नई दिल्ली की सबलेट कंपनी हैं, के द्वारा पत्रांक-EIL/2019/CM.Per/001 दिनांक-12.04.2019 के द्वारा संबोधित पत्र मे पहाड़ कटिंग बड़ी मात्र मे उत्सिर्जित मक को निर्धारित 08 डम्पिंग जॉन जो गंगा नदी के प्रवाह के साथ हैं, मे डाले जाने पर सुरक्षा एवं पर्यावरण के मद्दे उत्पन्न होने पर, उक्त मक/पत्थर को निर्माण कार्य/उद्योग के लिए उपयोगी बताते हुए उक्त कम्पनी द्वारा उक्त अपशिष्ट उपखनिजों को उद्योग मे उपयोग किए जाने पर डम्पिंग जोन हेतु भूमि की कमी, भूस्खलन और सुरक्षा व पर्यावरण मुद्दों मे कमी एवं कम से कम 5 करोड़ के राजस्व का सृजन किए जाने मे मदद होने पर उक्त मार्ग पर अवशिष्ट उपखनिज को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था। उत्तराखंड शासन द्वारा के पत्र सं0 394/VII-A-1/2020/5(10)/2019 दिनांक-26.05.2020 द्वरा 2,96,982.44 घनमीटर अर्थात 6,53,361 टन अवशिष्ट अतिरिक्त उपयोगी उपखनिज बोल्डर मक/पत्थर की उत्तराखंड राज्य के संबन्धित निर्माण उद्योगों को किए जाने की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी के पत्रांक-73/30-87(2018-19) दिनांक, नई टिहरी, 01 नवंबर/दिसंबर 2020 द्वारा निदेशक को नोटिस दिया गया। जिसके अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा उपखनिज पर अग्रिम रॉयल्टी के अतिरिक्त अन्य शुल्क एवं जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान धनराशि को जमा नही किया गया।

उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर द्वरा प्रेषित जांच के अनुसार निकासी योग्य मात्रा 1,33,850 घन मीटर आंकलित की गयी एवं अवशेष 1,63,132.10 घन मीटर मात्रा का दुरुपयोग किया गया। जिसका अधिकांश भाग गंगा नदी की ओर बोल्डर्स को प्रवाहित होना समिति द्वारा अवलोकित किया गया। जिस के परिपेक्ष्य मे पाँच गुणा अवैध श्रेणी के अंतर्गत माना गया।

जिलाधिकारी, नई टिहरी के उक्त पत्रांक के अनुसार नियमानुसार रॉयल्टी दर `194.50प्रति घन मी0 से एवं अर्थदण्ड `2,00,000/- सहित कुल `15,88,46,259.00 (पंद्रह करोड़ अठठासी लाख छियालीस हजार दो सौ उनसठ) मात्रका अर्थदण्ड आरोपित किया गया। जिसकी वसूली लम्बित थी।

उक्त की संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क, के संबंध मे कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी करने हेतु जिलाधिकारी महोदया जनपद टिहरी गढ़वाल को पत्र प्रेषित किया जायेगा। रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड वसूली के संबंध मे अवगत कराया गया कि प्रकरण

जिलाधिकारी द्वारा निदेशक/शासन स्तर पर लम्बित हैं। कार्यालय के उत्तर से स्वंम लेखापरीक्षा आपतियों की पुष्टि होती हैं।

अत: पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क `19,76,644.00 जमा नही किए जाने एवं अवैध खनन पर `15,88,46,259.00 (पंद्रह करोड़ अठठासी लाख छियालीस हजार दो सौ उनसठ) मात्र का अर्थदण्ड वसूल नही किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-5: मासिक विवरणी प्रस्तुत नही किए जाने पर 62.32 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल नही किया जाना।

(A) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली,2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (ड़) हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी को मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह ₹50,000/- का अर्थदण्ड देय हो ।

उक्त के परीपेक्ष में कार्यालय भूवैज्ञानिक,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड जिला टास्क फ़ोर्सकार्यालय,टिहरी गढ़वाल के अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया कि श्री भरत सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, ग्राम देवठ पट्टी भिलंग तह0 घनसाली, टिहरी गढ़वाल द्वारा मासिक विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गएथे। जिसका विवरण निम्नप्रकार हैं-

क्र. सं.	स्टोन क्रेशर का नाम(सर्वश्री)	स्टोन क्रेशर स्वीकृति तिथि	माह जिनकी मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड (₹50,000/- प्रति माह)
1	श्री भरत सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह ,ग्राम देवठ पट्टी भिलंग तह0 घनसाली , टिहरी गढ़वाल	14-12-2016 से 05 वर्ष	12/2016 से 12/2019	37	18,50,000/-

अतः उल्लिखित नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर ₹18,50,000/=अर्थदण्ड आरोपित कर नहीं वसूला गया है।जो कार्यालय द्वारा नही किया हैं।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकर को अवगत कराया जाएगा। खंड का उत्तर लेखा परीक्षा आपति की स्वयं पुष्टि करता है |

(B) पुनः कार्यालय के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि उक्त कार्यदायी संस्था मै0 सेंट्रोडोरस्टाय इण्डिया प्रा0लि0, द्वारा हॉट मिक्स की प्रारम्भ (13.07.2018) से मार्च 2020 तक एक भी मासिक विवरणी जमा नही करायी गयी हैं। इस प्रकार मासिक विवरणी जमा नही किए जाने पर उपरोक्त नियमानुसार उक्त कार्यदायी संस्था पर माह जुलाई 2018 से मार्च 2020 तक 21 माह की मासिक विवरणी उपलब्ध नही किए जाने पर रु 10,50,000/- अर्थदण्ड आरोपित कर वसूली किया जाना चाहिए था जो कार्यालय द्वारा नही किया गया।

उक्त की संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि मासिक विवरणी के संबंध मे कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी करने हेतु जिलाधिकारी महोदया जनपद टिहरी गढ़वाल को पत्र प्रेषित किया जायेगा।

(C) उत्तराखंड शासन के उत्तराखंड विकास अनुभाग-1 संख्या-1561/VII-I/80-ख/2016 देहरादून दिनांक-30 सितम्बर 2016 के बिन्दु संख्या-22(5) के अनुसार पट्टाधारी श्री भरत सिंह गुंसाई पुत्र श्री भगवान सिंह ग्राम रानीडांग पो0 भूत्तु तहसील घनसाली, टिहरी गढ़वाल को प्रत्येक माह मासिक विवरण प्रस्तुत की जानी चाहिए थी परंतु पंजीकरण दिनांक-07.06.2018 से मार्च 2020 तक केवल 04/2019 से 09/2019 तक (06 माह के) मासिक विवरण उपलब्ध थे। शेष 16 मासिक विवरण कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नही किए गए। इस प्रकार रु 2000/- प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए रु 32,000/ धनराशि वसूल की जानी चाहिए थी जो कार्यालय द्वारा नही की गयी।

(D) उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या: 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून: दिनांक 19नवंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञाप के अध्याय –V- हाट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट के1(ख) हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किए गए उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रतिमाह रु°50000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016, अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (ड़) हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किए गए उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह ₹50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं° 1758/VII-1/16/68-रिट/08 दिनाँक 19.11.2016 के अध्याय –III- 1(2) के अनुसार हाट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट हेतु वार्षिक नवीकरण

शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क, जो ₹ 25000/- है (अध्याय-II के अनुसार), के बराबर होगा। यह धनराशि प्लांट स्वामी के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्ष '0853' में जमा कराया जायेगा। उल्लिखित नियमानुसार प्लांट स्वामी श्री गौरव शर्मा, प्रो0 पी.के. इंफ्राटेक, 34 आदर्श ग्राम देहारादून रोड ऋषिकेश द्वारा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क रु025,000/- जमा नहीं कराया गया था।

कार्यालय भूवैज्ञानिक,जिला टास्क फोर्स, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,टिहरी गढ़वाल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री गौरव शर्मा, प्रो0 पी.के. इंफ्राटेक, 34 आदर्श ग्राम देहारादून रोड ऋषिकेश को ऋषिकेश –गंगोत्री बाईपास मार्ग के किनारे ग्राम नरेंद्र नगर पाथों मार्ग के खाता संख्या -02 खसरा नम्बर-606 कुल रकवा 27.000 है0 मध्ये 450 वर्ग मीटर पर 30 टन प्रतिघण्टा का हाट मिक्स प्लांट का जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या 1204/XXX-44/207-18 दिनांक नई टिहरी 20 अगस्त, 2018 द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु पंजीकृत किया गया था। खनन विभाग द्वारा पंजीकरण आदेश दिनांक 10 सितम्बर 2018 को जारी किया गया।

आगे जांच में पाया गया कि प्लांट स्वामी द्वारा किसी भी माह की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत नहींकिए गए थे। उल्लिखित नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर हाट मिक्स प्लांट के स्वामी पर प्रतिमाह रु0 50000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

उक्त के परिपेक्ष्य में सितम्बर 2018 से मार्च 2020 तक प्लांट स्वामी द्वारा मासिक विवरणी खनन विभाग के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः उल्लिखित नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्लांट स्वामी पर उक्त 19 माह अवधि हेतु रु0 9,50,000(19X50000) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर धनराशि वसूल की जानी थी, जो कार्यालय द्वारा नहीं किया गया तथा उपरोक्त शासनादेश के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया गया कि सयंत्र स्वामी को जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से नोटिस हेतु संज्ञानित किया जायेगा।

(E) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली,2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (ड़) हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी को मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह ₹50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या: 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनांक 19 नवंबर 2016 के कार्यालय ज्ञाप के अध्याय-V-के अनुसार हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडीमिक्स प्लांट 01(ख)हॉट मिक्स प्लांट,रेडीमिक्स प्लांट के स्वामी के द्वारा क्रय विक्रय किए गए उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत करने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी पर प्रतिमाह रु0 50000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड जिला टास्क फ़ोर्सकार्यालय, टिहरी गढ़वाल के अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया कि श्री मैसर्स हिदुस्तान कन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड द्वारा मासिक विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जिसका विवरण निम्नप्रकार हैं-

क्र. सं.	**स्टोन क्रेशर का नाम(सर्वश्री)**	**स्टोन क्रेशर स्वीकृति तिथि**	**माह जिनकी मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी**	**कुल माह**	**अर्थदंड (₹50,000/- प्रति माह)**
1.	श्री मैसर्स हिदुस्तान कन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड	25-08-2017 से 05 वर्ष	04/2018 से 03/2020	24	12,00,000/-

अतः उल्लिखित नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर ₹12,00,000/=अर्थदण्ड आरोपित कर नहीं वसूला गया है।जो कार्यालय द्वारा नही किया हैं।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को अवगत कराया जायेगा। खंड का उत्तर लेखापरीक्षा आपति की स्वंम पुष्टि करता हैं।

(F) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली,2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (ड़) हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी को मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह **₹** 50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

उक्त के परीपेक्ष में कार्यालय **भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखंड जिला टास्क फ़ोर्स कार्यालय, टिहरी गढ़वाल** के अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया कि संलग्न विवरण पत्र में उल्लिखित स्टोन क्रेशर प्लांट के स्वामियों द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः उल्लिखित नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर संलग्न विवरणानुसार **₹** छह लाख अर्थदण्ड अधिरोपित कर के वसूला नहीं गया था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया कि स्टोंन क्रेशर स्वामी को भण्डारण की अनुमति नही प्राप्त है स्टोन क्रेशर संचालित अवस्था में है जिस कारण इनका ई – पोर्टल generate नही किया गया है। इस कारण मासिक विवरणी का औचित्य नही बनता है ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा अपने उत्तर के पक्ष में कोई साक्ष्य नही दिया है, साथ ही संचालक को जो स्टोन क्रेशर स्वीकृत है उसे surrender करने सम्बन्धी कोई साक्ष्य भी न तो अभिलेखों से स्पष्ट था न ही इकाई द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

जनपद टिहरी के अंतर्गत स्टोन क्रेशरो की मासिक विवरणी सम्बन्धी सूची

क्रम सं.	**स्टोन क्रेशर का नाम(सर्वश्री)**	**स्टोन क्रेशर स्वीकृति तिथि**	**माह जिनकी मासिक विवरणी नहीं जमा की**	**कुल माह**	**अर्थदंड (₹50,000/-**

			गयी		**प्रति माह)**
1	राना स्टोन क्रेशर , (श्रीमती विशाला देवी)	10-11-2016 से 10-11-2021	04 /2019 से 03/2020	12	600000/-

(G) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली,2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (ड़) हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी को मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह ₹ 50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय पंजीकृत मैस. भागीरथी स्टोन क्रेशर (संचालक त्रिलोक सिंह रावत) जिसे की स्वीकृति 05 वर्षों हेतु दिनांक- 18.09.2017 से 17.09.2022 हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी थी। से सम्बंधित पत्रावली की नमूना जाँच में पाया कि संचालक द्वारा माह सितम्बर तथा अक्टूबर 2017 के मासिक विवरणी जमा नहीं करवाई गयी थी अतः उक्त नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह ₹50,000/- X 2= 100000/- का अर्थदण्ड देय है जो इकाई द्वारा संचालक से नही लिया गया था।
उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए संयंत्र स्वामी को नोटिस जारी कर जिलाधिकारी को अपडेट किया जाएगा |
(H) उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या: 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून: दिनांक 19नवंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञाप के अध्याय –V- हाट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट के1(ख) हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किए गए उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रतिमाह रु°50000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016, अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (ड़) हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किए गए उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह ₹50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय भूवैज्ञानिक,जिला टास्क फोर्स, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,टिहरी गढ़वाल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि

(i) मुख्य परियोजना प्रबन्धक,रेल विकास निगम लिमिटेड, ऋषिकेश मार्फत मै0 नवयुगा इंजीनियर कं0 लि0 द्वारा रेल विकास निगम लि0 द्वारा अधिग्रहित ग्राम मलेठा पो0 मलेठा तहसील कीर्तिनगर क्षेत्रांतगत खसरा न0 2056, 2057,2059,2060,2061,2062,1989,1990,1991,1992 कुल रकवा 0.361 है0 में

रेडीमिक्स प्लांट स्थापित किए जाने निर्धारित प्रारूप पर आवेदन माय निर्धारित आवेदन शुल्क रु0 25,000-00 के कोषागार चालान सं0 -010 दिनांक 30.11.2019 के माध्यम से इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त रेडीमिक्स प्लांट क्षमता 66 टन प्रतिघण्टा की स्थापना हेतु याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 406/30-128 (2019-20) दिनांक, नई टिहरी, जनवरी 28, 2020 द्वारा शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी थी।

उक्त शत्तों के अधीन यह प्रावधान भी था कि उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या: 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून: दिनांक 19नवंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञाप के अध्याय –V के नियम1(ख) के अनुसार रेडिमिक्स प्लांट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किए गए उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर रेडिमिक्स प्लांट के स्वामी पर प्रतिमाह रु0 50000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

इसी प्रकार,

(ii) मुख्य परियोजना प्रबन्धक,रेल विकास निगम लिमिटेड, ऋषिकेश मार्फत मै0 नवयुगा इंजीनियर कं0 लि0 द्वारा रेल विकास निगम लि0 द्वारा अधिग्रहित ग्राम मलेठा पो0 मलेठा तहसील कीर्तिनगर क्षेत्रांतगत खसरा न0 823, 824,832, 846, 851, 852 कुल रकवा 0.113 है0 में रेडीमिक्स प्लांट स्थापित किए जाने निर्धारित प्रारूप पर आवेदन माय निर्धारित आवेदन शुल्क रु0 25,000-00 के कोषागार चालान सं0 -23 दिनांक 26.11.2019 के माध्यम से इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त रेडीमिक्स प्लांट क्षमता 66 टन प्रतिघण्टा की स्थापना हेतु याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 407/30-129 (2019-20) दिनांक, नई टिहरी, जनवरी 28, 2020 द्वारा उपरोक्तलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी थी।

तथा

(iii) मुख्य परियोजना प्रबन्धक,रेल विकास निगम लिमिटेड, ऋषिकेश मार्फत मै0 नवयुगा इंजीनियर कं0 लि0 द्वारा रेल विकास निगम लि0 द्वारा अधिग्रहित ग्राम मलेठा पो0 मलेठा तहसील कीर्तिनगर क्षेत्रांतगत खसरा न0 954, 955, 957, 958 कुल रकवा 0.090 है0 में रेडीमिक्स प्लांट स्थापित किए जाने निर्धारित प्रारूप पर आवेदन माय निर्धारित आवेदन शुल्क रु0 25,000-00 के कोषागार चालान सं0 -22 दिनांक 26.11.2019 के माध्यम से इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त रेडीमिक्स प्लांट क्षमता 66 टन प्रतिघण्टा की स्थापना हेतु याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 408/30-130 (2019-20) दिनांक, नई टिहरी, जनवरी 28, 2020 द्वारा उपरोक्तलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी थी।

आगे जांच में पाया गया कि प्लांट स्वामी द्वारा उपरोक्त तीनों प्रकरण में किसी भी माह की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गए

थे।उल्लिखित नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर हाट मिक्स प्लांट के स्वामी पर प्रतिमाह रु0 50000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

उक्त के परिपेक्ष्य में जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक प्लांट स्वामी द्वारा तीनों प्रकरणों में मासिक विवरणी खनन विभाग के जनपदीय कार्यलय में प्रस्तुत नहीं किये गए थे। अतःउल्लिखित नियमानुसार प्लांट स्वामी पर उक्त 03 माह की अवधि हेतु,प्रत्येक तीनों प्रकरणों में,कुल रु0 4,50,000 (3X50,000X3) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर धनराशि वसूल की जानी थी, जो कार्यालय द्वारा नहीं किया गया तथा उपरोक्त शासनादेश के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारातथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टिकरते हुए उत्तर दिया गया कि सयंत्रों के स्वामी कोनोटिस जिलाधिकारी कार्यालय से प्रेषण हेतु संज्ञानित किया जायेगा।

अतःनियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹62.32 लाख का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्र. सं0	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**भाग-।। 'अ' प्रस्तर संख्या.**	**भाग-।। 'ब' प्रस्तर संख्या**
1	RS/DMO/137/2017-18	1,2,3	1,2,3,4,5,6
2	RS/DMO-26/2018-19	1,2,3	1,2,3
3	RS/DMO-134/2019-20	1,2,3,4	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही गतिमान हैं।				

भाग- IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री दीपन्द्र सिंह चंद	उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

...लागू नहीं ...

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स,**

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, टिहरी गढ़वाल सीधे उपमहालेखाकार, (AMG-II) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)